यह निरीक्षण आख्या कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के अवधि माह 12/2003 से 03/2016 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.05.2016 से 02.06.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2003 से 03/2016 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी।

1- विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री वी.के. सिंह	वित्त अधिकारी	03.11.2003 से 19.07.2007
2	श्री प्रदीप गोयल	वित्त अधिकारी	15.10.2007 से 04.08.2008
3	श्री भूपेन्द्र प्रसाद भांडयाल	वित्त अधिकारी	05.08.2008 से 03.12.2010
4	श्री रत्नेश कुमार िसह	वित्त अधिकारी	04.12.2010 से 07.08.2010
5	श्री हर सिंह बोनाल	वित्त अधिकारी	08.08.2012 से 22.08.2014
6	डा. तंजीम अली	वित्त अधिकारी	30.08.2014 से वर्तमान तक

ब. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर : इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

स. सतत् अनियमिततायें - शून्य

द. अप्रस्तुत अभिलेख - वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की बैलेन्स शीट (तुलन पत्र)

6. बजट

(` लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत		बचत/आधिक्य
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	
1	2011-12	---	---	243.34	202.00	41.34
2	2012-13	---	---	158.48	150.73	7.75
3	2013-14	---	---	187.35	193.61	6.26
4	2014-15	---	---	200.78	167.55	33.23
5	2015-16	---	---	210.00	180.04	30.04

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1:- कार्यदायी संस्था द्वारा ` 239.67 लाख के व्यय के बाद भी अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी।

उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास कि आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी परिसर में आवासीय भवन निर्माण करने का निर्णय लिया गया (जनवरी 2006) उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन ` 192.00 लाख के सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन द्वारा ` 137.20 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करते हुये वित्तीय वर्ष 2006-07 में ` 115.46 लाख की धनराशि विभिन्न शर्तों के अधीन निर्गत किया गया था। (शासनादेश संख्या 64/ XXIV (7)/ 2007 दिनांक 22.03.2007)

शासन द्वारा धनराशि निर्गत करने के लगभग चार माह बाद अकादमी द्वारा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु बैठक आयोजित की गयी जिसमें UPRNN को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किया गया जो कि विरोधाभासी था और प्रथम किश्त ` 50.00 लाख दिनांक 15.03.2008 तथा द्वितीय किश्त ` 60.00 लाख दिनांक 12.12.2008 को निर्गत किया गया और `5.46 लाख आयकर मद में जमा कर दिया गया था, कार्यदायी संस्था द्वारा बिना किसी स्पष्ट आधार के प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन `244.58 लाख का प्रस्तुत किया गया जिसके सापेक्ष टी॰ ए॰ सी॰ द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण राशि `239.94 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये ` 64.00 लाख की धनराशि निर्गत किया गया (शासनादेश संख्या 507/XXXIX-11(बजट)/2011 दिनांक 21.11.2011) ।

16 मार्च 2012 को कार्यदायी संस्था और विभाग के मध्य ए॰ एम॰ यू॰ गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि, प्राकृतिक आपदा को छोड़ कर 31.12.2012 निर्धारित थी, अनुबंध की शर्त संख्या 14.1 के अनुसार परियोजना लागत में पुनरीक्षण की अनुमति बिलकुल नहीं की जायेगी। जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा स्वीकृत राशि ` 239.94 लाख के सापेक्ष ` 239.67 लाख की धनराशि आयकर एवं व्यापारकर की कटौती सहित यथा समय कार्यदायी संस्था को निर्गत कर दिया गया था परन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूर्ण न करते हुये कार्य बन्द कर दिया गया था। टाइप एक के आठ आवास का निर्माण कार्य स्थल व विकास आदि कार्य होना शेष था। दिनांक 30.11.2013 को दूसरी बार ` 413.66 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत कर दिया गया था। जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था क्योंकि केवल टाइप एक के आठ आवास और स्थल विकास का कार्य ही शेष था सम्पूर्ण कार्य का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किए जाने का औचित्य नहीं था। उक्त पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति सम्प्रेक्षा तिथि तक अप्राप्त थी (मई 2016)।

इस प्रकार विभागीय उदासीनता एवं कार्यदायी संस्था की मनमानी के कारण ` 239.67 लाख के व्यय के बाद भी न केवल प्रस्तावित कार्य समय से पूर्ण नहीं हुआ अपितु अंतर्निहित

उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त थी तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए शासन को अतिरिक्त धन का व्यय करना होगा जो शासन की हानि होगी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 15-3-2008 तथा पूर्ण होने की तिथि 31-12-2012 थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा 09 वर्ष का समय बीत जाने के पश्चात भी निर्माण कार्य अपूर्ण था निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने से उक्त निर्माण कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अतएवकार्यदायी संस्था की मनमानी के कारण ` 239.67 लाख के व्यय के बाद भी प्रस्तावित कार्य समय से पूर्ण नहीं होने एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति के अप्राप्त रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 2:- ` 25.16 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को भारत सरकार को प्रेषित न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित योजनाओ पर आवंटित धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को भारत सरकार को वापस करने या उसको योजनाओ पर व्यय करने का प्राविधान है तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग की जाएगी ।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के लेखों की नमूना जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि अकादमी के बैंक खातों में वर्ष 2003-04 से 2015-16 तक की अवधि में ब्याज राशि भारत सरकार को वापस करने या उनको योजनाओ पर व्यय न करने के कारण ` 2465004.21 ब्याज के शेष हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र॰ सं॰	**वित्तीय वर्ष**	**ब्याज की धनराशि**
1	2003-04	729.17
2	2004-05	71693.04
3	2005-06	130365.00
4	2006-07	---
5	2007-08	515299.00
6	2008-09	500096.00
7	2009-10	356486.00
8	2010-11	237006.00
9	2011-12	266730.00
10	2012-13	178656.00
11	2013-14	70722.00
12	2014-15	76884.00
13	2015-16	60338.00
योग		**2465004.21**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही है तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि का न तो उपयोग संबन्धित योजना मे किया जा रहा है और न ही भारत सरकार को वापस किया जा रहा था।

आगे यह भी देखा गया कि विभाग के अन्तर्गत पुस्तकों की बिक्री तथा पुस्तकों के प्राप्त करने हेतु वार्षिक अंशदान की धनराशि ` 51334/- विभाग के बैंक खातों में लम्बित पड़ी हुई है, जबकि पुस्तकों की बिक्री एवं अंशदान की धनराशि शासकीय खजाने में जमा कराया जाना चाहिये था जो कि विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

इस प्रकार कुल धनराशि ` 2516338/- (2465004.21 + 51334.00 = 2516338.21) विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के कारण बैंक खातों में लम्बित है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि ब्याज की धनराशि योजनाओं पर व्यय नहीं की जाती है। अभी ब्याज एवं पुस्तकों की बिक्री व अंशदान की धनराशि शासन को वापस नहीं की गयी है, शीघ्र भारत सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा एक से 13 वर्षों में उक्त धनराशि का समायोजन करते हुये आगामी वर्षों के लिए धनराशि की मांग की जानी थी अथवा भारत सरकार को धनराशि वापस की जानी थी जो कि विभाग द्वारा नहीं किया गया । अतः विभाग द्वारा ` 25.16 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को भारत सरकार को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- II (ब)

प्रस्तर 3:- अनुश्रवण अभाव के कारण ` 10.34 लाख के अग्रिमों का समायोजन न करते हुये त्रुटिपूर्ण तुलनपत्र बनाया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रस्तर 292 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गए अग्रिम की वसूली/ समायोजन नियत समय पर कर लिया जाना चाहिए।

कार्यालय उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ` 1033560/- की धनराशि विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को अग्रिम के रूप मे दी गयी थी जिसका समायोजन विगत तीन वर्षों से अधिक समय से नहीं किया गया था, विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है की श्री बुध्य देव शर्मा पूर्व सचिव के नाम ` 913776.00 की राशि असमायोजित थी जबकि श्री शर्मा तीन वर्ष पूर्व सेवा निवृत हो चुके हैं । असमायोजित अग्रिम का विवरण निमन्वत था :-

क्र॰ सं॰	अधिकारी/ कर्मचारी नाम	अग्रिम की धनराशि
1	श्री बुध देव शर्मा	913776.00
2	श्री धर्मानन्द मैठानी	3000.00
3	श्री विनोद सिंह	3000.00
4	डा॰ हरीश चन्द्र गुरुरानी	19959.00
5	श्री मोहित रमोला	20000.00
6	लीला रावत	33925.00
7	करुणा पाती	30000.00
8	श्री किशोरी लाल रतुड़ी	5000.00
9	मोहन चन्द्र बलोदी	3000.00
10	राधे श्याम	1900.00
योग		**1033560.00**

उक्त राशियों को यथा शीघ्र समायोजित किया जाना चाहिए था लेकिन विभाग द्वारा उक्त धनराशियों का समायोजन लेखापरीक्षा अवधि (05/2016) तक नहीं किया गया । जिस कारण ` 10.34 लाख की धनराशि विभिन्न अधिकारियों/ कर्मचारियों के पास अभी तक असमायोजित पढ़ी है। जो शासकीय धन के उपयोग के प्रति विभागीय उदासीनता का परिचायक है ।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि जिन कार्यों हेतु अग्रिम दिया गया था वह पूर्ण हो चुके हैं परन्तु ततसमय त्रुटिवश रोकड़ बही में इन्द्राज न हो पाने के कारण तुलनपत्र में परिलक्षित है जिसे वर्तमान वर्ष के तुलनपत्र में संशोधित / ठीक कर लिया जाएगा। समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमनुसार प्रत्येक लेनदेन को रोकडवाही में इंदराज किया जाना चाहिए तथा तुलनपत्र में संस्थान की वास्तविक स्थिति ही प्रदर्शित किया जाना चाहिये त्रुटिपूर्ण तुलनपत्र बनाए जाने एवं संस्थान की अवास्तविक स्थिति प्रदर्शित करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मेंलाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)